न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS

पत्रावली संख्या : **162/19 (विविध)**

GCMS No. : 2019/00357

अनवान्

1. श्री वरदीचन्द पिता रूपा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।

.............वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

......................प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री सुरेशचन्द्र डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 25.01.2021

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 93, 1138, 1186, 1187, 1188, 2110, 2111, 2112, 2116, 3145 किता 10 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 3109 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 1495 रकबा 8 बिस्वा, परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 1156, 1184, 1618, 1821, 1822, 1936, 2076, 3096, 3438 किता 9 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा, परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 1494 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 1792 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, परिशिष्ट 7 में वर्णित आराजी नम्बर 3126, 3127, 3128, 3131 किता 4 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार दर्ज हैं।
2. उक्त कृषि भूमि मेरी पैतृक भूमियां होकर मैं स्वर्गीय रूपा जी का जायन्दा पुत्र हु जो मेरे पिता के निधनोपरान्त मुझ वादी को विरासत से प्राप्त हुई है, जिसमें में काबिज होकर काश्त करता आ रहा हुं। राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम बाबुडा पिता रूपा अंकित हैं। बचपन में मुझे बाबुडा के नाम से पुकारते थे, इसलिए विरासत के नामान्तरकरण में मेरा नाम बाबुडा अंकित कर दिया गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम वरदीचन्द हैं जो मेरे सभी दस्तावेजों में वरदीचन्द के रूप में ही अंकित हैं। मेरा नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित हो जाने से पुनः बाबुडा के बजाय वरदीचन्द दुरूस्त किया जावें।

3. पूर्व में भी आप न्यायालय में अपने गलत नाम को दुरूस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे आप न्यायालय द्वारा स्वीकार कर डिक्री फरमाया गया और गलत नाम को दुरूस्त कर सही नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा आदेशानुसार मुझ वादी का नाम भी रेवेन्यु रेकार्ड में सही हो चुका हैं। वादग्रस्त भूमि में नाम गलत होने की जानकारी मुझ वादी को पहले नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात में नाम संशोधन नहीं हो सका इसलिए पुनः जानकारी में आते ही वाद पेश किया हैं जो आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं।
4. वाद कारण दिनांक 02.08.2019 को पैदा हुआ जब मुझ वादी को वाद वर्णित भूमियों में गलत नाम अंकित होने की जानकारी हुई, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
5. अतः निवेदन है कि मुझ वादी का वाद स्वीकार कर वाद में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी का नाम बाबुडा पिता रूपा के बजाय वास्तविक नाम वरदीचन्द पिता रूपा का अंकन फरमाये जाने की डिक्री प्रदान करावें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की।
7. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री वरदीचन्द, पीडब्ल्यू–2 श्री श्यामलाल के शपथ पत्र पेश किये।
8. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 7, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रदर्श 8, आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 9, पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श 10 पेश किये।
9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता वादी एवं राजपेरोकार की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में वाद स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज के अध्ययन से वादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना नाम बाबुडा के वरदीचन्द अंकित कराना चाह रहा हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री वरदीचन्द, पीडब्ल्यू–2 श्री श्यामलाल के शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 7, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रदर्श 8, आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 9, पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श 10 आदि सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2021.02.14 16:29:20 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों में वादी का नाम वरदीचन्द पिता रूपा डांगी दर्ज हैं। वादी द्वारा दौराने बहस ग्राम पंचायत मांगथला का प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2021 एवं न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री प्रकरण सं. 28/12 अनवान वरदीचन्द बनाम राज्य निर्णय दिनांक 11.07.2015 की प्रति पेश की जिसमें वादी का नाम बाबुडा पिता रूपा डांगी के बजाय वरदीचन्द पिता रूपा डांगी अंकित किया जाने का आदेश दिया गया हैं। वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गये सभी दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वरदीचन्द व बाबुडा एक ही व्यक्ति होकर वादी के ही नाम हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम अंकन हो जाने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। वादी दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। वरदीचन्द व बाबुडा वादी का ही नाम होना सिद्व होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 93, 1138, 1186, 1187, 1188, 2110, 2111, 2112, 2116, 3145 किता 10 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 3109 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 1495 रकबा 8 बिस्वा, परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 1156, 1184, 1618, 1821, 1822, 1936, 2076, 3096, 3438 किता 9 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा, परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 1494 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 1792 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, परिशिष्ट 7 में वर्णित आराजी नम्बर 3126, 3127, 3128, 3131 किता 4 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार बाबुडा पिता रूपा डांगी के बजाय बाबुडा उर्फ वरदीचन्द पिता रूपा डांगी अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वरदीचन्द पिता रूपा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 162/19 (वाद) (GCMS–2019/00357)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 93, 1138, 1186, 1187, 1188, 2110, 2111, 2112, 2116, 3145 किता 10 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 3109 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 1495 रकबा 8 बिस्वा, परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 1156, 1184, 1618, 1821, 1822, 1936, 2076, 3096, 3438 किता 9 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा, परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 1494 रकबा 3 बिस्वा, परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 1792 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, परिशिष्ट 7 में वर्णित आराजी नम्बर 3126, 3127, 3128, 3131 किता 4 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार बाबुडा पिता रूपा डांगी के बजाय बाबुडा उर्फ वरदीचन्द पिता रूपा डांगी अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.01.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली